III नीतिगत परिवेश

वर्ष 2018-19 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के सामाधान के लिए विवेक-सम्मत ढाँचे की शुरुआत की जिसका उद्देश्य था कि अनर्जक आस्तियों के दबाव को भविष्य में और बढ़ने से रोका जा सके और बैंकिंग क्षेत्र को बचाया जा सके। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार समष्टि-विवेकसम्मत ढाँचे में आगे और भी बदलाव लाए गए, जबकि मौद्रिक नीति में उभरते समष्टि-आर्थिक घटनाक्रम का ध्यान रखा गया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के प्रशासन में और रिपोर्टिंग के तरीकों में सुधार किया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित चलनिधि व विनियामक ढाँचे को मजबूत करने तथा विनियामक अंतरपणन हटाने के लिए भी सम्मिलित प्रयास किए गए और साथ ही इस क्षेत्र में चलनिधि के प्रवाह को उत्प्रेरित किया गया। भुगतान व निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य भी साथ-साथ चला।

1. परिचय

III.1 धीमी पड़ती वैश्विक व घरेलू गतिविधि की पृष्ठभूमि में 2018-19 और 2019-20 में अब तक भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण व संचालन को कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। इसके अतिरिक्त वैश्विक प्रभावों, भू-राजनैतिक व व्यापार तनावों, और वित्तीय बाजारों में झंझावातों के झटकों से पैदा हुई अनिश्चितता ने परिदृश्य को धुँधला कर दिया। ऐसे परिवेश में दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान हेतु विवेकसम्मत ढाँचे को दृढ़ करने, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान को प्रोत्साहन, बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में विनियामक नीति के सुसंगतिकरण, पूँजी की लागत घटाकर व सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और समष्टि-विवेकसम्मत विनियमों को क्रमश: सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ले जाने की ओर नीति का ध्यान केंद्रित हुआ। भुगतान व निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य भी साथ-साथ चला।

III.2 इस पृष्ठभूमि में शेष अध्याय में बैंकिंग व गैर-बैंकिंग क्षेत्र में 2018-19 और 2019-20 में अब तक उठाए गए नीतिगत कदमों का विहंगावलोकन किया गया है। खंड 2 में मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन संबंधी घटनाक्रम हैं। व्यापक समष्टि-विवेकसम्मत ढाँचे के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी नीतियों को खंड 3 में कवर किया गया है। वर्ष के दौरान उठाए गए विनियामक उपाय खंड 4 में दिए गए हैं। पर्यवेक्षण के दायरे में आने वाले बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश खंड 5 में जबकि एनबीएफसी संबंधी कदम खंड 6 में हैं। वित्तीय समावेश, ऋण देने, ग्राहक संरक्षण को बढ़ावा देने वाले कदम क्रमश: खंड 7 और 8 में कवर किए गए हैं। संरक्षित व सुरक्षित परिवेश में नए युग के भुगतान उत्पादों की उपलब्धता बेहतर करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों का उल्लेख खंड 9 में है। खंड 10 में समग्र आकलन के साथ अध्याय समाप्त होता है।

2. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन

III.3 द्विमासिक कार्यक्रम के अनुसार 2018-19 में रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छह बार और वर्ष 2019-20 में अब तक (अप्रैल- दिसंबर 2019) पांच बार बैठकें हो चुकी हैं। इस अवधि में अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों को बढ़ने से रोकने के लिए नीतिगत रिपो दर जून व अगस्त 2018 दोनों में 25 आधार अंक बढ़ाई गई। तेल की बढ़ी हुई कीमतों

ने जब मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए जोखिम बढ़ा दिया तब अक्टूबर 2018 में मौद्रिक नीति का रुख़ तटस्थ से बदलकर नपे-तुले कसाव का कर दिया गया। इसके बाद मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी रही, जिसे देखते हुए कम होती संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया। तदनुसार, जब मुद्रास्फीति घटी और हाउसहोल्ड की प्रत्याशाएं स्थिर रहीं, फ़रवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर 2019 में, एमपीसी की अगली पाँच बैठकों में नीतिगत दर लगातार घटाई गई। अगस्त 2019 की अपनी बैठक में, गहराती वैश्विक मंदी के बीच, घरेलू गतिविधि में कमज़ोरी को देखते हुए एमपीसी ने अपारंपरिक 35 अंकों से नीतिगत दर घटाने हेतु मत दिए। एमपीसी ने दिसंबर 2019 की अपनी बैठक में नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। फरवरी 2019 में नीतिगत रुख़ को नपे-तुले कसाव से बदल कर तटस्थ और जून 2019 से उदार किया गया।

चलनिधि प्रबंधन

III.4 समीक्षाधीन अवधि में प्रणालीगत चलनिधि में बड़े उलटफेर हुए। रिज़र्व बैंक के फॉरेक्स ऑपरेशन और मुद्रा प्रसार जहाँ इस वर्ष टिकाऊ चलनिधि के प्रमुख कारक रहे, सरकारी व्यय से अवरोधात्मक चलनिधि गतियों का निर्धारण हुआ। अत: मौद्रिक नीति के रुख़ के अनुसार, रिज़र्ब बैंक ने अपने विभिन्न उपायों का प्रयोग किया जैसे, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत व परिवर्तनीय रेट रिपो व रिवर्स रिपो और प्रत्यक्ष (आउटराइट) खुला बाजार ऑपरेशन (ओएमओ) ताकि भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) – ऑपरेटिंग लक्ष्य – को नीतिगत दर के अनुरूप रखा जा सके। चलनिधि प्रबंधन के अपने तरकश को समृद्ध करते हुए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2019 में यूएस $5 बिलियन (₹34,561 करोड़) की विदेशी मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप की शुरुआत की और इसके बाद फिर अप्रैल 2019 में इतनी ही राशि की।

III.5 वर्ष 2018-19 में, जनवरी 2019 तक डब्ल्यूएसीआर सामान्यत: नीतिगत रिपो दर के नीचे व्यापार हुआ लेकिन उसके बाद रुक-रुक कर बढ़ा और वर्ष के अंत में इसमें उछाल आया। कुल मिलाकर, डब्ल्यूएसीआर 2018-19 में नीति दर से 8 आधार अंक (बीपीएस) नीचे व्यापार हुआ (पहली छमाही में 10 आधार अंक बनाम दूसरी में 6 आधार अंक)।

III.6 परिवर्तनीय दर नीलामी के जरिये किए गए सूक्ष्म समायोजन परिचालन अवरोधात्मक चलनिधि प्रबंधन के प्रमुख साधन रहे। वर्ष 2018-19 में नियमित 14-दिवसीय रिपो के अलावा एकदिवसीय (ओवरनाइट) से लेकर 56 दिनों की परिपक्वता के परिवर्तनीय दर रिपो के माध्यम से जहाँ ₹6,39,900 करोड़ की चलनिधि डाली गई वहीं, एकदिवसीय (ओवरनाइट) से लेकर 14-दिवसीय रिवर्स रिपो के जरिये ₹42,54,800 करोड़ की चलनिधि निकाली गई।

III.7 अप्रैल और मई 2019 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ₹51,403 करोड़ की दैनिक औसत चलनिधि डाली। बाद में, जून- दिसंबर 2019 (15 दिसंबर 2019 तक) में जब अतिरिक्त चलनिधि आई, नियमित नियत दर रिवर्स रिपो के अलावा परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो करते हुए हर दिन औसतन ₹1,58,893 करोड़ निकाले गए। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त चलनिधि की निर्मिति को देखते हुए, जिसके कुछ समय तक बने रहने की संभावना है, 4 नवंबर 2019 से दीर्घतर अवधि के परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामियां करने का निर्णय लिया गया।

III.8 स्थिर चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2018-19 में कुल ₹2,98,500 करोड़ के 27 ओएमओ क्रय ऑपरेशन किए। अप्रैल – दिसंबर 2019 (15

दिसंबर 2019 तक) में 4 ओएमओ क्रय नीलामी के माध्यम से ₹52,500 करोड़ की स्थिर चलनिधि डाली गई।

चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा

III.9 पहले चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के अंतर्गत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए लेवल 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए)[1] के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की समय और मांग देयताओं (एनडीटीएल) के 11 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सकता था। रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2018 से बैंकों को यह अनुमति दी कि एफएएलएलसीआर में एल1 एचक्यूएलए के रूप में वे अपने एनडीटीएल का 2 प्रतिशत और रख सकते हैं ताकि बासेल III में निर्धारित एलसीआर अपेक्षाओं को बैंक पूरा कर सकें और इस प्रकार एफएएलएलसीआर के प्रतिशत को बढ़ाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया।

III.10 यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 4 अप्रैल 2019 से अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के तहत एफएएलएलसीआर के अंतर्गत लेवल 1 एचक्यूएलए के रूप में धारित अतिरिक्त 2 प्रतिशत (50 आधार अंकों की चार वृद्धियों में) सरकारी प्रतिभूतियों को एलसीआर की गणना में चरणबद्ध रूप से शामिल करते हुए 1 अप्रैल 2020 तक इसे एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक ले जाने की अनुमति दी जाए। एफएएलएलसीआर में दूसरी और तीसरी वृद्धि, प्रत्येक बार 50 आधार अंकों की, क्रमश:1 अगस्त को और 1 दिसंबर 2019 को हुई। 5 जुलाई 2019 को बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वह एफएएलएलसीआर में की गई इस एक प्रतिशत की वृद्धि को एलसीआर गणना हेतु ले सकते हैं जो कि उनकी बहियों में पहले से मौजूद ऋण (क्रेडिट) के अलावा एनबीएफसी व आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए गए वृद्धिशील बकाया ऋण के बराबर हो। एफएएलएलसीआर में, मूल कार्यक्रम के अनुसार जब और जैसी वृद्धि होगी, तब शुरुआत में ही प्रयुक्त यह एक प्रतिशत सामान्य एफएएलएलसीआर का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया था कि एसएलआर को एलसीआर आवश्यकता[2] के अनुरूप करने के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में जनवरी 2019 से प्रारंभ प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में 25 आधार अंकों की तब तक कटौती की जाए जब तक यह एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक न पहुँच जाए।

उधार दरों की बाह्य बेंचमार्किंग

III.11 एक आंतरिक अध्यन दल (आईएसजी) के सुझाव के आधार पर और हितधारकों से विधिवत् विचार-विमर्श के बाद, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए जाने वाले परिवर्तनशील दर वाले ऋणों और परिवर्तनशील दर वाले सभी नए ऋणों को 01 अक्टूबर 2019 से निर्दिष्ट बाह्य बेंचमार्कों में से किसी एक से जोड़ने का निर्णय लिया। इन बेंचमार्कों में नीति रिपो दर, भारत सरकार के 3-माह या 6-माह के ट्रेज़री बिल प्रतिफल या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा बताया गया कोई अन्य बेंचमार्क है। बाह्य बेंचमार्कों पर स्प्रेड तय करने की छूट बैंकों को दी गई है; तथापि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को तभी बदला जा सकता है जब उधार लेने वाले के ऋण आकलन में कोई बड़ा परिवर्तन हो। आगे, परिचालन लागत (ऑपरेटिंग कॉस्ट) सहित, स्प्रेड के दूसरे घटकों को तीन वर्ष में केवल एक बार बदला जा सकता है। ब्याज दरों को तीन महीने में कम से कम एक बार रिसेट करना होता है। पहले से मौजूद कर्ज और एमसीएलआर से जुड़ी ऋण सीमाएं, बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) चुकौती या नवीकरण तक जारी रह सकते हैं।

[1] बैंकों की एलसीआर की गणना के प्रयोजन से लेवल 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) में अन्य चीजों के साथ-साथ, न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियांऔर अधिदेशात्मक एसएलआर आवश्यकता के भीतर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) [वर्तमान में बैंक के एनडीडीएल का 2 प्रतिशत] और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति है।

[2] अक्टूबर 2019 से प्रारंभ तिमाही से, कटौती का चौथा राउंड लागू हो गया जिससे एसएलआर घटते हुए एनडीटीएल के 18.50 प्रतिशत तक आ गया है।

3. विवेकसम्मत नीतियां

III.12 रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक विवेक-सम्मत ढाँचे की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के दबाव को भविष्य में और बढ़ने से रोकना और बैंकिंग क्षेत्र को बचाना था। बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले उधार को आसान करने के लिए भी रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए।

3.1 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकसम्मत ढाँचा

III.13 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान ढाँचे से संबंधित अनुदेशों को 7 जून 2019 को संशोधित किया गया ताकि दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए बैंकों को एक पूर्व-आईबीसी विंडो मिल सके। परिवर्तित फ्रेमवर्क में दबावग्रस्त आस्तियों की जल्द पहचान, रिपोर्टिंग और समाधान का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही समाधान या दिवाला कार्रवाइयां शुरू करने में देर के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण की व्यवस्था करके हतोत्साहित भी किया गया है। खाते में चूक के बाद, संशोधित ढाँचे के अंतर्गत उधार देने वालों को समाधान रणनीति तय करने के लिए 30 दिनों की समीक्षा अवधि मिलेगी। उन मामलों में जहाँ समाधान योजना (आरपी) को लागू किया जाना है, सभी ऋणदाताओं को इस समीक्षा अवधि के भीतर एक अंतर-ऋणदाता करार (आईसीए) निष्पादित करना होगा। आईसीए में अन्य बातों के साथ-साथ इसका प्रावधान होगा कि जो निर्णय बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य के 75 प्रतिशत और ऋणदाताओं की संख्याओं के 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करेगा, वह सभी ऋणदाताओं पर बाध्यकारी होगा। आरपी को समीक्षा अवधि के 180 दिनों के भीतर लागू करना होगा।

III.14 यदि किसी उधारकर्ता के संबंध में कोई व्यवहार्य समाधान योजना 180 दिनों के भीतर लागू नहीं की जाती है, तो ऋणदाताओं से यह अपेक्षित होता है कि वे पहले से किए गए प्रावधान के अलावा अलग से प्रावधान करें अथवा उधारकर्ता के लेखा में मौजूद आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप अपेक्षित प्रावधान करें। समीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद पहले 180 दिनों बाद, आस्ति पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान करना होगा, जिसमें समीक्षा अवधि के प्रारंभ होने के 365 दिन बीत जाने के बाद 15 प्रतिशत (यानी कुल अतिरिक्त प्रावधान 35 प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी। इस ढांचे में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि दिवाला आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान की आधी राशि का प्रत्यावर्तन करने की अनुमति देता है। जब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की दिवालिया समाधान प्रक्रिया में उधारकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तब अतिरिक्त प्रावधान की शेष राशि को भी प्रतिवर्तित कर दिया जाता है। नया ढांचा अनुसूचित सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली प्रणालीगत महत्त्व की एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशियाँ स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) तथा ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है।

III.15 भविष्य में इस फ्रेमवर्क से यह आशा की जाती है कि दबावग्रस्त आस्तियों की समय पर पहचान को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार यह बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। अनुभवजन्य प्रमाण यह बताते हैं कि ऐसे बैंक जो क्षतिग्रस्त आस्तियों की पहचान तथा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करने में विलंब करते हैं, उनकी लाभप्रदता पर उन बैंकों की तुलना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो समय पर कार्रवाई करते हैं (बॉक्स III.1)।

3.2 पूंजी संरक्षण बफर में वृद्धि का स्थगन

III.16 सामान्य समय के दौरान बैंक पूंजीगत बफ़र्स का निर्माण करें इस उद्देश्य से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाया गया है जिसका उपयोग दबाव वाली अवधि के दौरान किया जा सके। वर्तमान में, बैंकों का सीसीबी जोखिम भारित आस्ति का 1.875 प्रतिशत है, जिसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत किया जाना था। समष्टि आर्थिक स्थितियों और बैंकिंग क्षेत्र में लगातार दबाव बने रहने को ध्यान में रखते हुए, सीसीबी की अंतिम किश्त 0.625 प्रतिशत लागू किए जाने को 31 मार्च 2020 तक आस्थगित किया गया है।

बॉक्स III.1: आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता : क्या विवेकपूर्ण कदम लाभकारी हैं ?

वर्ष 2012 से एनपीए का दबाव बढ़ना शुरू हुआ, कुछ बैंकों ने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसकी शीघ्र पहचान करते हुए इसके लिए प्रावधान कर लिया था, जबकि कुछ बैंकों ने ऋणों को चिरकालिक बनाए रखने का अविवेकपूर्ण रुख अपनाए रखा। ऐसी स्थिति में आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के लिए पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी ताकि दूसरी श्रेणी के बैंकों को अधिकाधिक विवेकपूर्ण व्यवहार करने पर मजबूर किया जा सके। शेष सभी परिस्थितियों को एकसमान मानते हुए, इस बात को समझने के लिए कि क्या अविवेकपूर्ण रवैया अपनाने वाले बैंकों की लाभप्रदता को होने वाला नुकसान उन बैंकों की तुलना में अधिक हुआ जिन्होंने विवेकपूर्ण आचरण किया था, डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डिफ-इन-डिफ) रिग्रेशन के एक विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया, जिसमें एक्यूआर को बहिर्जात आघात माना जाता है। एक्यूआर वर्गीकरण के बाद यदि यह पाया जाता है कि बैंक के जीएनपीए अनुपात में परिवर्तन मध्यमान से अधिक हुआ है, तो उसे *अविवेकपूर्ण बैंक*[3] के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अन्य बैंकों को *विवेकपूर्ण बैंक* की श्रेणी में रखा जाता है। डिफ-इन-डिफ के दायरे में, अविवेकपूर्ण बैंकों को *उपचार योग्य श्रेणी* और विवेकपूर्ण बैंकों को *नियंत्रित श्रेणी* वाला कहा जाता है (चार्ट 1ए)। वर्ष 2015 के बाद इन श्रेणियों की लाभप्रदता में तीव्र बदलाव देखा गया है (चार्ट 1बी)।

वर्ष 2011-18 की अवधि के लिए 45 निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वार्षिक पैनल डेटा प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित समीकरण का अनुमान किया जाता है:

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \eta \times D_{post} \times D_{treatment} + \beta \times (i \times t) + \varepsilon_{it}$$

जहां i बैंक को दर्शाता है, t समय को दर्शाता है, α_i तथा γ_t बैंक तथा वर्ष के नियत प्रभाव हैं, $D_{post} = 1$ उन वर्षों के लिए जिनमें एक्यूआर का प्रभाव बने रहने की उम्मीद है (2016-2018), $D_{treatment} = 1$ अविवेकपूर्ण बैंकों के लिए, तथा y_{it} आश्रित चर है। अन्योन्यक्रिया पद (बैंक (i) × वर्ष (t)) मॉडल में शामिल है जिसमें t (वर्ष) को निरंतर चर के रूप में शामिल किया गया है, ताकि समय के साथ बदलने वाले सभी बैंक विशिष्ट कारकों पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर η का मान सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, तो इसका आशय यह होगा कि एक्यूआर के बाद बैंकों की दोनों श्रेणियों में लाभप्रदता में अंतर आया।

सारणी 1: पैनल नियत प्रभाव (एफई) रिग्रेशन मॉडल

आश्रित चर	आरओए	
इंटरैक्शन इम्प्रूडेंट बैंक* पोस्ट	-1.037***	-0.527***
	(0.147)	(0.166)
बैंक*वर्ष	नहीं	हाँ
बैंक एफई	हाँ	हाँ
वर्ष एफई	हाँ	हाँ
टिप्पणियाँ	350	350
समायोजित आर[2]	0.575	0.690

मानक त्रुटियों को बैंक के स्तर पर एकत्रित किया गया है।
कोष्ठक में मानक त्रुटियां दी गयी हैं
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

परिणामों से पता चलता है कि नीति से लगे आघात के बाद की अवधि में अविवेकपूर्ण बैंकों की लाभप्रदता में विवेकपूर्ण बैंकों की उसी अवधि की लाभप्रदता की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आयी है और यह 0.53 प्रतिशत और 1.04 प्रतिशत के बीच रही है[4]। इसका यह भी अर्थ है कि एक्यूआर के बाद की अवधि में अविवेकपूर्ण बैंकों के प्रदर्शन के कारण तत्वत: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कुल लाभप्रदता में गिरावट आई है। नीति

चार्ट 1 ए : जीएनपीए अनुपात: विवेकपूर्ण *बनाम* अविवेकपूर्ण

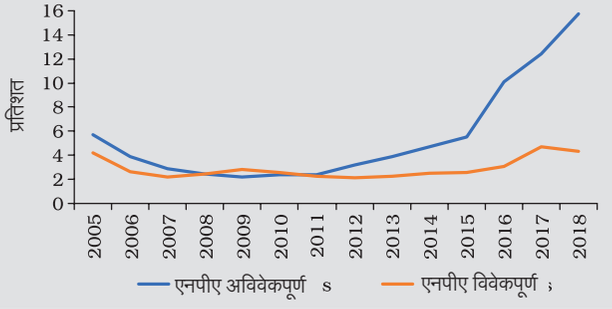

चार्ट 1 बी : आस्तियों पर प्रतिफल : विवेकपूर्ण *बनाम* अविवेकपूर्ण

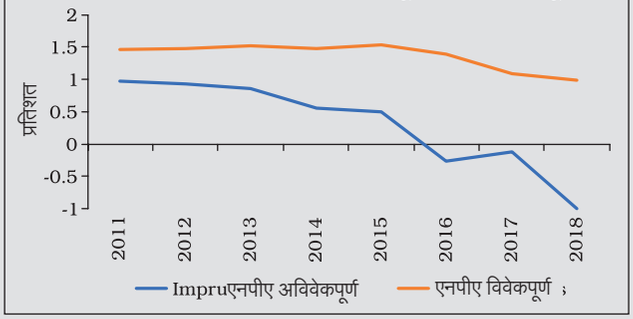

स्रोत: लेखक द्वारा पर्यवेक्षी डेटा के आधार पर की गयी गणना।

(जारी...)

[3] यह संभव है कि कुछ बैंकों ने एनपीए की तुरंत पहचान न करके बाद में एनपीए की पहचान की हो, जिसका अर्थ यह है कि इस वर्गीकरण में अपवर्जन त्रुटियाँ है - जो बैंक वास्तव में अविवेकपूर्ण हैं उन्हें विवेकपूर्ण करार दिया जा रहा है। हालांकि, इस तरह के गलत वर्गीकरण से एनपीए आघात के वास्तविक प्रभाव को कमतर ही आंका जाएगा, अधिक नहीं।

[4] रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2017 में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क को संशोधित किया। इसके बाद, जून 2017 के अंत में पाँच बैंकों को और दिसंबर 2017 के अंत में अन्य पाँच बैंकों को पीसीए के तहत रखा गया, जिससे उनकी कुछ गतिविधियों पर अंकुश लगा। हो सकता है इससे 2017-18 की उनकी लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा हो। इस तथ्य को शामिल करने के लिए 2011-2017 की अवधि के लिए वही रिग्रेशन स्पेसीफिकेशन चलाया गया जिससे परिणामों के सुदृढ़ता की पुष्टि हुई।

के दृष्टिकोण से, ये परिणाम ऋण लेनदेन में अंतर्निहित क्रेडिट जोखिम को सही ढंग से पहचानने और उसके लिए प्रावधान करने के महत्व को उजागर करते हैं।

संदर्भ

अलबुलेसकू, सी. टी. (2015). बैंक प्रॉफिटेबिलिटी एण्ड फिनान्शियल साउंडनेस इंडिकेटर: ए मॅक्रो लेवल इनवेस्टिगेशन इन इमर्जिंग कंट्रीज. प्रोसेडिया ईकॉनॉमिक्स एण्ड फिनान्स, 23, 203-209.

जोस.जे.(2019). एसेट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ एण्ड प्रोफिटेबिलिटी: डज प्रुडेंस पे? *मीमियो*

कुलकर्णी, एन. (2017). क्रेडिटर राईट एण्ड एलोकेटीव डिसटॉरशन्स- इविडेंस फॉर्म इंडिया। कैफरल वर्किंग पेपर

मिलर, एस एम एण्ड नौलस, ए. जी. (1997). पौर्टफोलिओ मिक्स एण्ड लार्ज बैंक प्रॅफिटेबिलिटी इन द यूएसए। अप्लईड ईकॉनॉमिक्स, 29(4), 505-512.

पेत्रिया, एन., केपरारु, बी., एण्ड इनातोव, आई. (2015). डिटरमिनंटस ऑफ बैंक' प्रोफिटेबिलिटी: इविडेंस फ्रॉम ईयू 27 बैंकिंग सिस्टमस. प्रोसेडिया ईकॉनॉमिक्स एण्ड फिनान्स, 20, 518-524.

सुफियन, एफ., एण्ड चोंग, आर. आर. (2008). डिटरमिनंटस ऑफ बैंक' प्रोफिटेबिलिटी इन डेवलोपिंग ईकॉनोमी : एमप्रिकल इविडेंस फ्रॉम द फिलिपिन्स . एशियन एकेडमी ऑफ मेनेजमेंट जर्नल ऑफ अकांटिंग एण्ड फिनान्स, 4(2).

2.3 लीवरेज अनुपात

III.17 अत्यधिक लीवरेज जोखिमों को कम करने के लिए, बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बासेल समिति ने मौजूदा जोखिम-आधारित पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित उपाय के रूप में बासेल III लीवरेज अनुपात (एलआर) को तैयार किया। बैंक के एक्सपोजर में टीयर I पूंजी के अनुपात के रूप में लीवरेज अनुपात को परिभाषित किया गया है। रिज़र्व बैंक, प्रकटीकरण के प्रयोजन से एवं साथ ही बैंकों द्वारा समांतर आधार पर अनुपालन के रूप में 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज अनुपात को लेकर बैंकों की निगरानी करता आ रहा है। दिसंबर 2017 में बीसीबीएस द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देश में हर समय न्यूनतम 3 प्रतिशत एलआर अपेक्षा को निर्धारित किया गया। भारतीय बैंकों के लिए, वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और बासेल III मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होने वाली तिमाही से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डीएसआईबी) के लिए 4 प्रतिशत और अन्य बैंकों के लिए 3.5 प्रतिशत न्यूनतम लीवरेज अनुपात निर्धारित किया गया।

3.4 बृहत एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ)

III.18 बैंकों के बड़े जोखिमों से संबंधित दिशानिर्देश 03 जून 2019 को संशोधित किए गए, जिनमें पहले के कुछ प्रावधानों को सम्मिलित तथा अधिक्रमित किया गया। एक्सपोजर तथा संकेंद्रण जोखिम की सही पहचान के उद्देश्य से ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरुप बनाने के लिए संशोधित एलईएफ में सरकार से जुड़ी संस्थाओं को संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है बशर्ते वे अन्यथा न जुड़े हों। इसमें उन संस्थाओं के लिए 1 अप्रैल 2020 से संबंधित प्रतिपक्षकारों की परिभाषा में आर्थिक परस्पर-निर्भरता को एक मानदंड के रूप में भी शामिल किया जाएगा जहां किसी बैंक का प्रत्येक संस्था में एक्सपोजर उनकी पात्र पूंजी आधार के 5 प्रतिशत से अधिक है तथा सामूहिक निवेश उपक्रम, प्रतिभूति माध्यम तथा अन्य संरचना की स्थिति में संबंधित प्रतिपक्षकारों के निर्धारण के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण (एलटीए) को अनिवार्य किया गया है। साथ ही संक्रमण कालीन उपाय के रूप में 31 मार्च 2020 तक गैर- केंद्रीय रूप से मंजूर डेरिवेटिव को एलईएफ के दायरे से बाहर रखा गया है। एलईएफ के प्रयोजन से प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक (जी-एसआईबी) की भारतीय शाखाओं को जी-एसआईबी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, 12 सितंबर 2019 को यह निर्णय लिया गया कि किसी भी एकल एनबीएफसी (गोल्ड लोन कंपनियों को छोड़कर) के प्रति बैंक की एक्सपोज़र सीमा पहले के 15 प्रतिशत की तुलना में पात्र पूंजी के 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाए। मुख्य रूप से स्वर्ण पर ऋण देने वाले एनबीएफसी को बैंक ऋण - जो वर्तमान में पूर्व पूंजीगत धन के 7.5 प्रतिशत तक सीमित है - बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देने की स्थिति में 12.5 प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति है।

3.5 एनबीएफसी एक्सपोजर के लिए जोखिम भार

III.19 कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी के एक्सपोजर को सेबी के साथ पंजीकृत और रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गयी रेटिंग के अनुसार जोखिम-भार दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अच्छी रेटिंग प्राप्त एनबीएफसी को ऋण प्रदान करना और मौजूदा नियमों के अंतर्गत कॉरपोरेट्स के समान क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के जोखिम के लिए लागू बैंकों के जोखिम भार को समरूप करना है। रेटिंग प्राप्त तथा रेंटिंग अप्राप्त सीआईसी के एक्सपोजर पर जोखिम-भार 100 प्रतिशत बना रहेगा।

3.6 उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार

III.20 उपभोक्ता ऋण जिसमें व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ शामिल होती हैं परंतु शिक्षा ऋण शामिल नहीं होते, को 125 प्रतिशत या उससे ज्यादा का अपेक्षाकृत अधिक जोखिम भार देना होता है। समीक्षा के उपरांत जोखिम भार घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। यह छूट क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों पर लागू नहीं होती है।

4. विनियामकीय नीतियां

III.21 बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के प्रशासन और रिपोर्टिंग प्रथाओं में सुधार करने पर जोर दिया। रिज़र्व बैंक का विनियामकीय दायरा एनबीएफसी, एचएफसी, पेमेंट बैंक (पीबी), एसएफबी और आरआरबी के साथ-साथ विशिष्टोन्मुखी ऋण देनेवाली संस्थाओं तक फैला हुआ है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में निजी क्षेत्र में एसएफबी को 'ऑन-टैप' लाइसेंस देने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए है।

4.1 बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस

III.22 अगस्त 2019 में पीएसबी में शेयरधारक निदेशकों के लिए 'योग्य और उपयुक्त' मानदण्ड की व्यापक समीक्षा की गयी थी। संशोधित दिशानिर्देशों में इस संबंध में बरती जाने वाली समुचित सावधानी को बढ़ाने और इनके लिए आवश्यक पात्रता मानदण्डों को अन्य निदेशकों के समनुरूप बनाया गया है।

III.23 रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर, 2019 को सभी निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ, प्रमुख जोखिम वहनकर्ता और नियंत्रक कार्यों से जुड़े स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति निशानिर्देश जारी किए जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे। ये संशोधित दिशानिर्देश पीवीबी के पारिश्रमिक मानकों को क्षतिपूर्ति संबंधी स्वस्थ प्रथाओं के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के अनुरूप करते हैं हालांकि इनके तहत समग्र क्षतिपूर्ति को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

4.2 बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली

III.24 भारतीय रिज़र्व बैंक में भारत की सभी बैंकिंग आउटलेट्स (बीओ)/ कार्यालयों की एक निर्देशिका रखी जाती है। शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से चलती आ रही मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) प्रणाली के स्थान पर एक नई वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली - बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) बनाई गई है। सीआईएसबीआई में बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) का पूरा विवरण और सभी परिवर्तनों के इतिहास का लेखा-जोखा समय के साथ रखने का प्रावधान किया गया है। बैंक/एआईएफआई भी अपने से संबंधित डेटा इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों द्वारा पहले बताई गई सभी सूचनाएँ सीआईएसबीआई में अंतरित कर दी गयी हैं।

4.3 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फ्रेमवर्क में संशोधन

III.25 आधार और धन शोधन संबंधी कानूनों में 13 फरवरी 2019 को हुए संशोधनों के अनुरूप 29 मई 2019 को केवाईसी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। बैंकों को केवल उन व्यक्तियों के लिए आधार प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन-सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है जो स्वेच्छा से ऐसा करवाना चाहते हैं और इसके लिए अलग से सहमति देते हैं।

आधार संख्या के प्रमाण को अब आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची में जोड़ दिया गया है। विनियमित संस्थाओं (आरई) से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो ग्राहक किसी भी लाभ या सब्सिडी के लाभार्थी नहीं हैं, ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी हेतु प्रस्तुत करते समय उनकी आधार संख्या को गोपनीय रखे। तथापि, यदि कोई व्यक्ति आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत किसी भी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक हो, तो बैंकों से यह अपेक्षित है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा द्वारा ऐसे व्यक्ति की आधार संख्या का सत्यापन किया जाए।

4.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा प्राधिकार नीति

III.26 रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2019 को आरआरबी के लिए बैंकिंग आउटलेट (बीओ) की संकल्पना पेश की। बीओ एक नियत-स्थल सेवा प्रदाता इकाई है, जो या तो बैंक के किसी कर्मचारी या उसके कारोबारी प्रतिनिधि द्वारा संचालित की जाती है, जहां जमाराशियां लेना, चेकों का नकदीकरण/नकदी की निकासी या पैसे उधार देने जैसी सेवाएं सप्ताह में कम से कम पांच दिन और न्यूनतम चार घंटे प्रतिदिन प्रदान की जाती हैं। टीयर 5 और 6 केंद्रों में आरआरबी को आमतौर पर बीओ कार्योत्तर रिपोर्टिंग के साथ खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। कार्योत्तर रिपोर्टिंग हालांकि, आरआरबी को कुछ शर्तों के अधीन टीयर 1 से 4 केंद्रों (जनगणना 2011 के अनुसार) में पारंपरिक शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उन्हें हर साल इन नई बीओ में से कम से कम 25 फीसदी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना होगा जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हों।

4.5 बुनियादी बचत बैंक जमा खाते

III.27 ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने सभी एससीबी, पीबी, एसएफबी, एलएबी और सहकारी बैंकों से कहा कि वे बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते में कुछ बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं मुफ्त में दें और इसके लिए न्यूनतम शेष की कोई शर्त न रखी जाए। इन सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक शाखाओं एवं एटीएम/सीडीएम मशीनों में नकदी जमा की सुविधा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या केंद्र /राज्य सरकार तथा एजंसियों द्वारा आहरित चेक के माध्यम से धन प्राप्त करने की सुविधा, एटीएम/डेबिट कार्ड प्रदान करना और एटीएम निकासी सहित महीने में न्यूनतम चार निकासी की सुविधा शामिल हैं।

4.6 क्रेडिट अनुशासन

III.28 रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2018 को ऐसे बड़े उधारकर्ताओं में क्रेडिट अनुशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंक ऋण वितरण के लिए बनाई गई उधार प्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किए जो बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी सुविधा के लाभार्थी हैं। ₹150 करोड़ और उससे अधिक की समग्र निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं को 1 अप्रैल 2019 से न्यूनतम 40 प्रतिशत 'उधार घटक' का स्तर रखना है जिसे 1 जुलाई 2019 से और अधिक बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन बड़े उधारकर्ताओं के नकदी ऋण के अनाहरित अंश पर अथवा ओवरड्राफ्ट सीमा पर 20 प्रतिशत ऋण अंतरण गुणक लागू किया जाता है जो 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी है।

4.7 थोक जमा

III.29 'थोक जमा' की परिभाषा को 22 फरवरी 2019 को इस प्रकार संशोधित किया गया कि बैंकों को इन जमाराशियों की उगाही के लिए परिचालनात्मक स्वतंत्रता दी जा सके। संशोधित परिभाषा के तहत, एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी द्वारा रुपये में लिए जाने वाले ₹2 करोड़ और उससे अधिक की एकमुश्त सावधि जमा को थोक जमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5. पर्यवेक्षी नीतियां

III.30 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस), ऐसी वित्तीय प्रणाली के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है जिसमें एससीबी, एसएफबी, पीबी, सीआईसी, एआईएफआई, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और

एआरसी शामिल हैं। जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान, बीएफएस की 10 बैठकें आयोजित की गयीं। संस्था-विशेष से जुड़े पर्यवेक्षी मुद्दों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई प्रस्तावित करने के साथ-साथ बीएफएस ने विनियमन और पर्यवेक्षण से जुड़े कई नीतिगत मसलों पर तथा विनियमित इकाइयों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई फ्रेमवर्क पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

III.31 बीएफएस द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध, बैंक लाइसेंसिंग से जुड़े दिशानिर्देशों के सुसंगतिकरण, पीवीबी में स्वामित्व और अभिशासन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा और एनपीए और धोखाधड़ी पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच. मालेगाम) द्वारा की गयी सिफारिशें शामिल थीं।

5.1 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

III.32 जनवरी 2019 से पहले, पीसीए ढांचे के तहत, ग्यारह पीएसबी और एक पीवीबी थे। नवंबर 2018 से केंद्र सरकार द्वारा कुछ पीएसबी में नये सिरे से पूंजी डाले जाने, और साथ ही इन बैंकों द्वारा पीसीए मापदंडों के अनुपालन में सुधार किए जाने एवं विभिन्न प्रणालीगत और संरचनात्मक सुधार में सफलता पाने के फलस्वरूप पांच पीएसबी को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाने का निर्णय लिया गया।

III.33 बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 31 जनवरी 2019 को इस फ्रेमवर्क से बाहर लाया गया क्योंकि उन्होंने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित सभी विनियामकीय मानदंडों को पूरा कर लिया था और उनका निवल एनपीए 6 प्रतिशत से कम हो गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मामले में, सरकार ने निवल एनपीए को 6 प्रतिशत से कम करने के लिए पर्याप्त पूंजी डाली।

III.34 इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को क्रमशः ₹6,896 करोड़ और ₹9,086 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई। इससे उनकी पूंजीगत निधियाँ बढ़ीं और ऋणों पर होने वाली हानि के लिए किए जाने वाले प्रावधान में भी बढ़ोतरी हुई ताकि पीसीए मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह देखते हुए कि इन बैंकों के सीआरएआर, सीईटी1, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात अब पीसीए के तहत निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इन बैंकों को 26 फरवरी 2019 को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया।

III.35 इसके अलावा, धनलक्ष्मी बैंक को भी फ्रेमवर्क से बाहर ले जाया गया क्योंकि इसने भी पीसीए सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं किया था। इसके अलावा, पीसीए के अंतर्गत डाले गए एक पीएसबी अर्थात देना बैंक का विलय एक अन्य गैर-पीसीए पीएसबी अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कर दिया गया।

III.36 वर्तमान में, पीसीए फ्रेमवर्क के अधीन छह बैंक (4पीएसबी और 2पीवीबी) हैं। इन छह बैंकों और उन बैंकों (5पीएसबी और 1पीवीबी) जिन्हें पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है, के कार्यनिष्पादन की निगरानी विभिन्न वित्तीय संकेतकों के ज़रिए रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर की जा रही है। इन बैंकों के शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ आवधिक बैठकें भी की जा रही हैं।

5.2 पीएसबी का विलय

III.37 विभिन्न समितियों[5] ने अंतर्निहित लाभों/तालमेल के मद्देनज़र पीएसबी के समेकन की सिफारिशें की हैं। समेकन के संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए और इसके परिणामस्वरूप होने वाले बेहतर तालमेल का लाभ उठाने के लिए 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया और इनके ग्राहकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

III.38 इसके अलावा, सरकार ने अगली पीढ़ी के ऐसे बैंकों के गठन के उद्देश्य से, जिनकी मजबूत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी हो, 10 पीएसबी का समामेलन करते हुए 4 बैंकिंग इकाइयाँ बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा प्रस्ताव है कि

[5] नरसिम्हम समिति (1998), लीलाधर समिति (2008) और नायक समिति (2014).

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ करते हुए देश का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बनाया जाए। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के विलय से चौथा सबसे बड़ा पीएसबी बनेगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाएगा, और यह देश का पांचवां सबसे बड़ा पीएसबी बन जाएगा। इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक के विलय से देश के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी भागों में सुदृढ़ बैंक शाखा-नेटवर्क बनाया जा सकेगा।

5.3 आईडीबीआई बैंक के स्वामित्व में बदलाव

III.39 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 2018-19 के दौरान आईडीबीआई बैंक की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत का अधिग्रहण कर लिया। नतीजतन, रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी, 2019 से आईडीबीआई बैंक का, विनियामकीय प्रयोजनों से, निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया।

5.4 लेखा-परीक्षा से जुड़ी गतिविधियाँ

III.40 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखा-परीक्षा फर्मों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। अब लेखा-परीक्षा संबंधी पहले की गई गलतियों के लिए लेखापरीक्षा फर्मों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा करने हेतु उनकी नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया जाएगा। ऐसी आशा की जाती है कि यह लेखापरीक्षा फर्मों को उसी प्रकार की या दूसरी कोई गलतियाँ करने से हतोत्साहित करेगा और इससे सांविधिक लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिलेगी।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.41 एनबीएफसी ने अभी हाल में ओवरलीवरेजिंग एवं आस्ति देयता असंतुलन से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया है। बैंकिंग क्षेत्र की ऋण सुपुर्दगी को सहारा देने में, खासकर आखिरी मील तक वित्तीय मध्यस्थता करने एवं वित्तीय समावेशन में, इस क्षेत्र की अहम भूमिका के मद्देनज़र इस क्षेत्र में चलनिधि प्रवाहों को बढ़ाते हुए एनबीएफसी के चलनिधि एवं विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करने और साथ ही विनियामक अंतरपणन को समाप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार ने समन्वित प्रयास किया है।

III.42 एनबीएफसी सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) उधार के माध्यम से डिजिटल इनोवेशन और फिनटेक सेवाओं को अपनाने में सबसे आगे रहा है। ऋणदाता की एक्सपोज़र सीमा में प्रस्तावित वृद्धि से यह आशा की जा रही है कि इन प्लेटफार्मो को और अधिक लोकप्रियता मिलेगी।

6.1 एनबीएफसी के पर्यवेक्षण को मजबूत करना

III.43 आरबीआई अधिनियम, 1934, को वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधित कर एनबीएफसी पर रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को बढ़ाया गया। इन संशोधनों ने रिज़र्व बैंक को निदेशकों को हटाने; जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए एनबीएफसी के (सरकारी एनबीएफसी को छोड़कर) बोर्ड का अधिक्रमण तथा प्रशासक नियुक्त करने; विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माना बढ़ाने; और समामेलन, पुनर्निर्माण या विभिन्न इकाइयों या संस्थाओं में विभाजन के जरिए एनबीएफसी का समाधान करने का अधिकार दिया।

6.2 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का विनियमन

III.44 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत एचएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण एनएचबी करता था। समय के साथ, एनएचबी के अधिदेश में विस्तार किया गया और यह इस क्षेत्र के पुनर्वित्त प्रदाता और ऋणदाता की भूमिका में आ गया। अधिदेश के परस्पर विरोधी पहलुओं को समझते हुए यूनियन बजट 2019-20 में प्रस्ताव किया गया कि आवास वित्त क्षेत्र का विनियामक प्राधिकार एनएचबी से रिज़र्व बैंक को वापस लौटाया जाए। इसके बाद

एचएफसी को पंजीकरण प्रमाण पत्र रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। साथ ही, आरबीआई को एचएफसी के प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए एनएचबी को निदेश देने और एचएफसी पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार दिया गया है।

III.45 आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB (धारा 45-IA को छोड़कर) के प्रावधानों से एचएफसी को दी गई छूट 11 नवंबर 2019 को वापस ले ली गई।

6.3 विभिन्न एनबीएफसी श्रेणियों का सामंजस्य

III.46 विगत वर्षों में एनबीएफसी क्षेत्र के विकास क्रम में विशिष्ट आस्ति वर्गों/क्षेत्रों के अनुसार कई वर्ग सामने आए हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के विनियम हैं। जमा स्वीकृति संबंधी नियमों में नवंबर 2014 में सामंजस्य लाया गया। 22 फरवरी, 2019 को आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) तथा निवेश कंपनियों (आईसी) को नियंत्रित करने वाले नियमों में लाया गया और उन्हें एनबीएफसी – निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) नामक नई श्रेणी में मिला दिया गया। इस सामंजस्य के साथ, अब एनबीएफसी की ग्यारह श्रेणियां हैं (धारा 2, अध्याय VI)।

6.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

III.47 रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर, 2019 को सीआईसी सहित एनबीएफसी के आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क के मानक को मजबूत करने एवं बढ़ाने के उद्देश्य से चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। मौजूदा फ्रेमवर्क में अत्यंत छोटी-छोटी परिपक्वता अवधि एवं सहिष्णुता सीमाएं निर्दिष्ट करते हुए तथा चलनिधि जोखिम निगरानी साधनों को अपनाते हुए संशोधित दिशानिर्देशों को बनाया गया है। दिशानिर्देश संरचनात्मक और गतिशील चलनिधि की माप के अलावा स्टॉक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए चलनिधि की निगरानी की सलाह देते हैं। वे दबाव परीक्षण एवं निधि की विविधता सहित विभिन्न पहलुओं में दृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के सिद्धान्तों को लागू करते हैं। फ्रेमवर्क के अनुसार 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ एवं इससे अधिक आस्ति आकार वाले सभी एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी के मामले में 50 प्रतिशत तथा ₹5,000 करोड़ एवं इससे अधिक आकार वाले लेकिन ₹10,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाले सभी एनबीएफसी-एनडी के मामले में 30 प्रतिशत से शुरू करते हुए एलसीआर के रूप में चलनिधि बफर रखने की आवश्यकता है, ताकि 01 दिसंबर, 2024 को 100 प्रतिशत तक पहुंचा जा सके।

6.5 आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना

III.48 यूनियन बजट 2019-20 में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से मजबूत एनबीएफसी और एचएफसी से ₹1,00,000 करोड़ की उच्च श्रेणी की एकत्रित आस्तियों को खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 10 प्रतिशत तक की पहली बार की आंशिक क्रेडिट गारंटी देने की योजना की घोषणा की। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से, बैंकों को उनकी अतिरिक्त जी-सेक धारिताओं के बदले में चलनिधि बैकस्टॉप प्रदान करेगा।

6.6 न्यूनतम धारिता अवधि में अस्थायी तौर पर छूट

III.49 प्रणालीगत रूप से एक महत्वपूर्ण एनबीएफसी की चूक के परिणामस्वरूप कई एनबीएफसी को धन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते देख रिज़र्व बैंक द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए गए। एनबीएफसी को उनकी पात्र आस्तियों के प्रतिभूतिकरण / समनुदेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 5 वर्षों से अधिक की मूल परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में प्रारंभिक एनबीएफसी के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) संबंधी अपेक्षाओं में नवंबर 2018 में ढील दी गई, बशर्ते कतिपय शर्तों को पूरा किया जाए। छह माहों की अवधि, अर्थात मई 2019 तक के लिए दी गई शुरुआती छूट को बाद में 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया था।

6.7 एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

III.50 रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त, 2019 को अनुमति दी कि पंजीकृत एनबीएफसी [सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के

अलावा] को कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को आगे ऋण प्रदान करने के लिए दिया गया बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में माना जाए, बशर्ते कतिपय शर्तों को पूरा किया जाए। एनबीएफसी द्वारा संस्वीकृत नए ऋणों को ही बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके अलावा, एनबीएफसी द्वारा मीयादी-ऋण घटक स्वरूप आगे उधार देने के लिए कृषि के तहत प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹20 लाख तक ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की पात्रता के लिए एचएफसी को गृह ऋण की सीमा पहले के ₹10 लाख प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर ₹20 लाख किया गया।

6.8 बड़ी एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी

III.51 एनबीएफसी के पास सार्वजनिक निधियों की पहुंच और क्रेडिट मध्यस्थता में भागीदारी के मामले में शेष वित्तीय क्षेत्र के साथ उनका महत्वपूर्ण अंतर-संबंध है। इस पारस्परिक संबंध से उत्पन्न संभावित प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए उनके जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, ₹5000 करोड़ से अधिक की आस्ति आकार वाले निवेश और क्रेडिट कंपनियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, फैक्टर और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स से अपेक्षित था कि वे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करें।

6.9 प्राधिकृत व्यापारी के रूप में लाइसेन्स देना

III.52 आम लोगों को उनके दैनिक गैर-व्यापारी चालू खाता लेनदेन के लिए सेवा पहुंच और दक्षता को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली निवेश और क्रेडिट कंपनियों को 16 अप्रैल 2019 से एडी – श्रेणी II के लाइसेन्स हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान की।

6.10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए निर्धारित हाउसहोल्ड आय और ऋण सीमा की समीक्षा

III.53 आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने में एनबीएफसी-एमएफआई की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए तथा वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में उनको दी गयी भूमिका के निर्वहन में उन्हें सक्षम बनाने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई से ऋण लेने वालों के लिए वर्तमान हाउसहोल्ड आय सीमा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,00,000 तथा शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए रु1,60,000 है, को बढ़ाकर क्रमश: ₹1,25,000 और ₹2,00,000 कर दिया गया है और साथ ही, 8 नवंबर 2019 से ऋण सीमाओं को भी प्रति उधारकर्ता ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया गया है।

6.11 अकांउट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम के सहभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

III.54 एनबीएफसी अकांउट एग्रीगेटर (एनबीएफसी एए) वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों के अधीन आने वाली वित्तीय संस्थाओं में मौजूद अलग-अलग आईटी सिस्टम और इंटरफेस में ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी का समेकन करता है। डेटा का सुरक्षित, विधिवत प्राधिकृत तथा निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी-एए, वित्तीय सूचना प्रदाताओं तथा वित्तीय सूचना प्रयोगकर्ता जैसे एए इकोसिस्टम के सहभागियों के लिए कुछ प्रमुख तकनीकी विनिर्देश (रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) द्वारा तैयार) जारी किए है।

6.12 आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) के प्रायोजकों के लिए योग्य और उपयुक्त मानदंड

III.55 वर्ष 2016 में सरफेसी अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियन, 2002) में हुए संशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक ने

25 अक्टूबर 2018 को एआरसी प्रायोजकों के लिए योग्य और उपयुक्त मानदंड से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए। निर्देश के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गयी है कि धन के स्रोत वैध और टिकाऊ हैं तथा एआरसी के प्रबंधन की सत्यनिष्ठा यथोचित संदेह से परे है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश के तहत प्रायोजकों की योग्य और उपयुक्त स्थिति की निरंतर निगरानी को अनिवार्य कर दिया गया है।

III.56 संशोधन ने एआरसी को 'वित्तीय संस्थान' की परिभाषा के अंतर्गत भी ला दिया है और इस तरह एक एआरसी को अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों को अर्जित करने में सक्षम बनाया दिया है, जिसे अभी तक सिर्फ ऋण एकत्रीकरण (एग्रीगेशन) के उद्देश्य से अनुमति दी गई थी।

III.57 वर्ष के दौरान, तीन कंपनियों को एआरसी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) दिया गया था, और एक कंपनी के सीओआर को रद्द कर दिया गया था।

6.13 एआरसी द्वारा प्रयोजक तथा ऋणदाता से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण

III.58 द्विपक्षीय लेनदेन में पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एआरसी को सूचित किया गया है कि वे पारदर्शी तरीके, समूचित दूरी बनाकर, बाजार निर्धारित मूल्य के आधार पर आयोजित होनेवाली नीलामी के माध्यम से ऋणदाता प्रायोजक, समूह संस्था से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण करें।

7. ऋण सुपुर्दगी एवं वित्तीय समावेशन

III.59 ऐसे दक्ष ऋण वितरण तंत्र का निर्माण और सुदृढ़ीकरण एक नीतिगत प्राथमिकता रही है, जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त और समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित कर सके। प्राथमिकता क्षेत्र में एमएसएमई, कृषि और अल्पसंख्यकों सहित कई लक्ष्य थे। इसके अलावा, समयबद्ध और समन्वित तरीके से व्यापक समावेशन हासिल करने हेतु वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई थी।

7.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ब्याज अनुदान योजना

III.60 सरकार द्वारा वर्ष 2018 में विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए एक ब्याज अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का लक्ष्य जीएसटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित था जिससे कि ऋण लागत को कम करने और इस क्षेत्र को अधिक से अधिक औपचारिक बनाने में सहायता मिल सके। वैध उद्योग आधार नंबर के साथ जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2018-19 से दो वर्षों के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया। इस योजना को एससीबी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा ऋण के लिए जारी ₹100 लाख तक के नए या वृद्धिशील ऋण पर उपलब्ध कराया गया था।

7.2 निर्यात क्रेडिट पर ब्याज अनुदान

III.61 भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पोत-लदानोत्तर और पोत-लदानपूर्व निर्यात ऋण पर ब्याज अनुदान को 2 नवंबर 2018 से 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी एससीबी (आरआरबी छोड़कर), एसएफबी और प्राथमिक सहकारी बैंकों को इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का निदेश दिया गया।

7.3 एमएसएमई को दिए अग्रिम की पुनर्रचना

III.62 एमएसएमई के दबावग्रस्त हो चुके खातों की सार्थक पुनर्रचना के लिए, एमएसएमई को दिए वैसे मौजूदा ऋणों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा घटाए बगैर एकबारगी पुनर्रचना की अनुमति प्रदान कर दी गयी जिनमें चूक तो हुई थी किंतु 1 जनवरी 2019 को वे 'मानक' थें। इस पुनर्रचना को 31 मार्च, 2020 तक लागू किया जाना है। यह योजना कुछ मानदंडों के आधार पर एमएसएमई को उपलब्ध कराई गई थी, जो अर्हता प्राप्त करती है, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी से कुल उधार पर ₹25 करोड़ का कैप, और पुनर्रचना पैकेज के लागू होने से

पहले जीएसटी-पंजीकृत होना शामिल है। इस योजना के तहत पुनर्रचित खातों के लिए 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित है।

7.4 किसान क्रेडिट कार्ड

III.63 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का उद्देश्य अल्पकालिक फसली ऋणों के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय बजट 2018-19 में ₹2 लाख तक के ऋण के लिए ब्याज अनुदान के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए इस सुविधा को बढ़ाया गया था। वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज अनुदान की अनुमति दी गई है और इसे दो साल के लिए लागू किया जा रहा है।

III.64 कृषि इनपुट लागत में समग्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7 फरवरी 2019 को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख करने का निर्णय लिया गया।

7.5 बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के लिए नया फ्रेमवर्क

III.65 जनवरी 2019 में, रिज़र्व बैंक ने व्यापार करने में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए ईसीबी और रुपये मूल्यवर्ग के बॉन्ड (आरडीबी) के फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बना दिया। ट्रैक I और II का विलय "विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित ईसीबी" के अंतर्गत किया गया है, और ट्रैक III और आरडीबी को एकमात्र नए ईसीबी फ्रेमवर्क के अंतर्गत "रुपया मूल्यवर्गित ईसीबी" में मिला दिया गया है। पात्र उधारकर्ताओं की सूची में अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं के अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को शामिल करके विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त उधारदाताओं की सूची का विस्तार, कुछ शर्तों के अधीन, वित्तीय स्थिति टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) का पालन करने वाले देश के किसी भी निवासी के लिए कर दिया गया है। आगे, नए ईसीबी फ्रेमवर्क के मानकों व शर्तों को पूरा करने वाले यूएसडी 750 मिलियन तक के ईसीबी, क्षेत्र चाहे जो हो, स्वचालित मार्ग से उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है। निश्चित उपयोगिता मानदंड के अधीन सभी ईसीबी के लिए सामान्य न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएएमपी) 3 वर्ष निर्धारित की गई है, भले ही राशि कुछ भी हो। इसके अलावा, अनुमत अंतिम-उपयोग मानदंड को सकारात्मक सूची से नकारात्मक सूची में बदल दिया गया है, और इस प्रकार ईसीबी से प्राप्त राशियों के उपयोग के दायरे का विस्तार हो रहा है।

7.6 कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान आवेदकों के लिए ईसीबी सुविधा

III.66 कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत समाधान आवेदकों को लक्ष्य कंपनी के रुपये में लिए गए मीयादी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त उधारदाताओं (भारतीय बैंकों की शाखाओं / विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर) से अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई।

7.7 अंतिम उपयोग प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

III.67 30 जुलाई 2019 को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ईसीबी से संबंधित अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों में छूट दी गई । पात्र उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 10 वर्षों के एमएएमपी वाले ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई थी, और पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से प्राप्त रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए 7 वर्षों के। इन उद्देश्यों हेतु आगे ऋण देने के लिए भी एनबीएफसी द्वारा उधार लेने की अनुमति दी गई।

III.68 उधारदाताओं के साथ किसी भी एकमुश्त निपटान के तहत एसएमए-2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर प्राप्त रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ईसीबी जुटाई जा सकती है। उधारदाता बैंकों को भारतीय बैंकों की

विदेशी शाखाओं/ विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर पात्र ईसीबी ऋणदाताओं को ऐसे ऋणों को समनुदेशन (असाइनमेंट) के माध्यम से बेचने की भी अनुमति हैं, बशर्ते कि ईसीबी फ्रेमवर्क के समग्र-लागत वाली एमएएमपी और अन्य प्रासंगिक मानदंडों का अनुपालन परिणामी ईसीबी करते हों।

7.8 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति

III.69 वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वावधान में वर्ष 2019-2024 हेतु वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) तैयार की गई थी। इसमें वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य योजना और प्रगति को मापने की क्रियाविधि के बारे में बताया गया है। इस कार्यनीति में समावेशी और आघात-निरपेक्ष बहु-हितधारक प्रेरित विकास का समर्थन करने के लिए सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने, उसे सुलभ और सस्ती बनाने की परिकल्पना की गई है।

7.9 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण

III.70 निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2019 को प्राथमिकता क्षेत्र के मानदंडों के तहत पात्र होने के लिए स्वीकृत सीमा को बढ़ा दिया। सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता ₹40 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा, '₹100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों' का मौजूदा मानदंड हटा दिया गया।

8. उपभोक्ता संरक्षण

III.71 रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के पक्ष में रहा है कि उसकी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताओं के साथ उचित बर्ताव किया जाए और उपभोक्ता अधिकारों की पर्याप्त संरक्षा हो। डिजिटल मोड विशेष रूप से गैर-बैंकों द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए जाने वाले लेनदेन की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने ग्राहक संरक्षण योजनाओं में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया।

8.1 बैंकेतर अधिकृत पीपीआई निर्गमकर्ताओं के लिए ग्राहक देनदारियों को सीमित करना

III.72 बैंकों द्वारा जारी प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के प्रति उनकी जवाबदेही को सीमित करके संरक्षित किया जाता है। 01 मार्च 2019 से बैंकेतर संस्था द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहकों को भी यह सुविधा प्रदान कर दी गई। एक परिष्कृत ग्राहक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क भी लागू किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि बैंकेतर पीपीआई निर्गमकर्ता की ओर से मिलीभगत से धोखाधड़ी, लापरवाही या कोताही, तीसरे पक्ष द्वारा अतिक्रमण करने पर जहां न तो निर्गमकर्ता और न ही ग्राहक की कोई गलती है जैसी विभिन्न परिस्थितियों में, और जहां ग्राहक लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है वैसे मामलों में, ग्राहक किस हद तक जिम्मेदार होगा।

8.2 निष्फल लेनदेन वापसी की समय (टीएटी) सीमा का सामंजस्य

III.73 अन्य बातों के साथ-साथ, संचार लिंक में गड़बड़ी, एटीएम में नकदी समाप्त होना और सेशन टाइम आउट होना जैसे कारणों से लेनदेन असफल अथवा 'निष्फल' होने को लेकर ग्राहकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसके लिए सीधे ग्राहक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा,'निष्फल' हुए लेनदेनों से संबंधित सुधार प्रक्रिया और इसके लिए ग्राहकों को दी जानेवाली मुआवज़े की राशि में एकरूपता नहीं होती है।

III.74 तदनुसार, 20 सितंबर 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली में मुआवज़े के प्रतिवर्तन काल/ टर्न अराउंड टाइम(टीएटी) पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को तुरंत और कुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराना। इस टीएटी फ्रेमवर्क में ग्राहकों के फेल हुए लेनदेनों और उससे संबंधित मुआवज़े के टीएटी को अंतिम स्वरूप देते हुए ग्राहकों में विश्वास और निष्फल हुए लेनदेनों से जुड़ी प्रक्रिया में अनुरूपता लाना है।

8.3 डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना

III.75 देश में डिजिटल माध्यम से बढ़ते वित्तीय लेनदेनों को देखते हुए एक समर्पित,नि:शुल्क व त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई ताकि इस माध्यम में लोगों के विश्वास को बल मिले। तदनुसार, 31 जनवरी 2019 से डिजिटल लेनदेनों के लिए एक लोकपाल योजना शुरु की गई। इस योजना का उद्देश्य रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकेतर इकाइयों के माध्यम से किए गए डिजिटल लेनदेनों में ग्राहक सेवा संबंधी शिकायतों का निवारण करना है।

8.4 बैंकेतर पूर्वदत्त लिखत के लिए आंतरिक लोकपाल

III.76 प्रारंभिक स्तर पर ही शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े बैंकेतर पीपीआई निर्गमकर्ताओं को अक्टूबर 2019 में आंतरिक लोकपाल योजना शुरू करने के लिए आदेश दिए गए थे।

8.5 एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना

III.77 प्रारंभ में सभी एनबीएफसी-डी के लिए एनबीएफसी लोकपाल योजना लागू की गयी। अप्रैल 2019 से ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक आस्तियों के ग्राहक इंटरफेस वाले एनबीएफसी-एनडी के लिए यह योजना विस्तारित की गई।

9. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.78 कुशल भुगतान प्रणाली माल और सेवाओं के विनिमय लागत को घटाती है तथा वित्तीय बाज़ारों के कार्य के लिए अपरिहार्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट संबंधी उच्च स्तरीय समिति (श्री नन्दन नीलेकनी की अध्यक्षता में) गठित की। इस समिति ने इलेक्ट्रोनिक भुगतानों का प्रयोग बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और अन्य उद्योग सहभागियों को विभिन्न कार्रवाइयों की सिफारिशें की। इस समिति की सिफारिशें रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली : विज़न 2019-2021" में शामिल की गई हैं। इस दस्तावेज का मूल विचार 'एम्पावरिंग एक्सेप्शनल (ई) पेमेन्ट एक्सपीरिएंस' और इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को सुरक्षित, सुविधाजनक, तुरंत और सस्ता ई भुगतान विकल्प प्रदान करना है।

9.1 टोकन के जरिए कार्ड लेनदेन

III.79 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में टोकन के जरिए कार्ड सेवा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित एप प्रदाताओं को टोकन का प्रयोग और उसके संग्रहण से कार्ड भुगतान करने संबंधी नेटवर्क उपलब्ध कराया। टोकन के जरिए किए जानेवाले कार्ड लेनदेनों के लिए प्राधिकृत अतिरिक्त कारक (एएफए) अथवा पिन प्रविष्टि करने में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को टोकन के जरिए भुगतान करने के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्णतया: स्वैच्छिक और निशुल्क किया जाएगा। वर्तमान में, यह सुविधा मोबाइल फोन और टेबलेट के लिए उपलब्ध है।

9.2 आवर्ती लेनदेनों के लिए कार्ड और पीपीआई से संबंधी ई- अधिदेश की प्रोसेसिंग

III.80 कार्ड लेनदेनों में सुरक्षा और संरक्षण का संतुलन बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने कार्ड धारकों (क्रेडिट कार्ड,डेबिट कार्ड,प्रीपेड कार्ड अथवा वोलेट) के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिससे ₹2,000/- तक के छोटे मूल्य के आवर्ती लेनदेनों के लिए कार्ड धारक अपने बैंक अथवा बैंकेतर संस्थाओं में अपना ई-अधिदेश दर्ज कर सकते हैं। ई-अधिदेश के रजिस्ट्रेशन,संशोधन और अधिदेश रद्द करते समय तथा पहले लेनदेन के समय भी जारीकर्ता द्वारा अतिरिक्त वैधीकरण किया जाना अनिवार्य है। कार्ड जारीकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे कार्ड धारकों को कार्ड लेनदेन से पहले और बाद में कुछ अलर्ट भेजें, जिससे कार्ड धारक को लेनदेन से पहले या किसी भी

समय ई-अधिदेश रद्द करने का विकल्प हो। इसके अलावा नया पीपीआई शुरू करना प्रस्तावित है जिससे ₹10,000/- तक का माल और सेवाएं खरीद सकते हैं।

9.3 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण

III.81 राष्ट्रीय *इलेक्ट्रॉनिक* टोल संग्रहण (एनई टीसी) एक अंतर-संचालित कार्य है अर्थात बहुविध जारीकर्ता-बहुविध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण सिस्टम, जिसमें ग्राहक अपने बैंक खाते से लिंक पैसिव टैग का प्रयोग करके टोल प्रभार का भुगतान कर सकते हैं। एनईटीसी प्रणाली के परिचालन हेतु रिज़र्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कार्पोरेशन (एनपीसीआई) को अंतिम मंजूरी प्रदान की है।

9.4 राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड

III.82 रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2018 में संपर्क रहित ऑफलाइन ट्रांज़िट भुगतानों के लिए राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड (एन सीएमसी) को प्रमाणीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं में छूट प्रदान की। इसका प्रयोग सभी ट्रांजिट भुगतानों के त्वरित चेक आउट टाइम के स्वरूप की वजह से किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का प्रयोग बढ़ाया जा सके एवं सभी सार्वजनिक परिवहन परिचालकों में पारस्परिक परिचालनीयता में सुविधा हो सके।

9.5 तत्काल सकल निपटान प्रणाली

III.83 ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का समय बढ़ा दिया गया है और अब सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक कर दिया है। तथापि, आरटीजीएस प्रणाली का अंतिम कट ऑफ समय शाम 7.45 बजे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

III.84 आरटीजीएस सिस्टम के ग्राहकों को निधि अंतरण की पुष्टि सूचना देना लागू किया गया और बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 15 जनवरी 2019 तक इनका परिचालन सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी जिससे प्रेषिती को सूचित किया जाता है कि अंतरित की गई राशि लाभार्थी के खाते में जमा की गयी है।

9.6 *आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रभारों में छूट*

III.85 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल निधि अंतरण पर जोर देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2019 से इसके द्वारा बैंकों पर आरटीजीएस प्रणाली के आउटवर्ड लेनदेन के लिए प्रोसेसिंग और विभिन्न समय पर लगाये जाने वाले प्रभारों तथा एनईएफटी सिस्टम के माध्यम से किये गये लेनदेन के प्रोसेसिंग प्रभार से छूट दे दी है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों को इसका लाभ प्रदान करें।

9.7 डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को गहन बनाना

III.86 रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य और संघशासित प्रदेश की बैंकर्स समितियों (SLBCs और UTLBCs) को अपने-अपने राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक जिले की पहचान करने का निर्देश दिया है ताकि इसे एक वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा सके। यह माना गया है कि चयनित जिले में चुने गए महत्वपूर्ण बैंक प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

9.8 वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए विनियामक सैंडबॉक्स

III.87 अंतर-विनियामक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, अगस्त 2019 में विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के लिए एक अनुकूल फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। आरएस में नियंत्रित विनियामकीय वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं की सीधी जांच की परिकल्पना की गई है जिसके लिए विनियामक द्वारा परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कतिपय विनियामक छूट दी (या नहीं) जा सकती है। जिन क्षेत्रों को आरएस से बल मिलने

की संभावना है उनमें माइक्रोफाइनेंस, नवोन्मेषी लघु बचत और सूक्ष्म-बीमा उत्पाद, विप्रेषण, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल भुगतान शामिल हैं।

III.88 रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 को आरएस के अंतर्गत अपनी अवधारणा के रूप में 'खुदरा भुगतान' के संबंध में पहला समूह (कोहार्ट) खोलना घोषित किया था। इससे यह उम्मीद की जाती है कि डिजिटल भुगतान में नवोन्मेषन को बढ़ावा देने और आबादी के सेवारहित तथा कम सेवा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को भुगतान करने में सहायता मिलेगी। आरएस के अंतर्गत नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाओं में फीचर-फोन-आधारित भुगतान सेवा सहित मोबाइल भुगतान; ऑफ-लाइन भुगतान समाधान और संपर्क रहित भुगतान शामिल हैं।

9.9 *भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)*

III.89 बीबीपीएस बार-बार किए जाने वाले बिल भुगतानों के लिए एक अंतरपरिचालन प्लैटफॉर्म है, जिस पर पाँच क्षेत्रों से संबंधित बिल भुगतान शामिल थे, यथा- डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी। इस वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बीबीपीएस के दायरे और कवरेज का विस्तार किया है और अब इसके तहत शामिल होने के लिए नियमित आधार पर बिल प्रस्तुत करने वाले (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) वे सभी बिलदाता पात्र माने गए हैं जो इसके इच्छुक हों।

9.10 *भुगतान प्रणालियों को 'ऑन-टैप' प्राधिकृत करना*

III.90 जोखिम के विशाखीकरण और नवोन्मेष तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने इच्छुक संस्थाओं को 'ऑन-टैप' प्राधिकार प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। इस प्रकार का प्राधिकार देते समय प्रस्ताव की योग्यता, पूंजी एवं केवाईसी संबंधी अपेक्षाओं और विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के बीच अंतरपरिचालन क्षमता जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब तक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू), व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (ट्रेड्स), और व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लूएलए) को ऑन-टैप प्राधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

10. समग्र आकलन

III.91 बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र एक अशांत और तनावपूर्ण अवधि से बाहर आ रहे हैं जिसमें उनका कामकाज बाधित हुआ है और आमतौर पर वित्तीय मध्यस्थता के कार्य में अधिक बाधा पड़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से बैंकिंग क्षेत्र के कायापलट की संभावनाएं दिख रही हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अधुनातन भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए ऐसे नए भारतीय बैंक बनेंगे जो अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होंगे और अच्छी तरह पूंजीकृत होंगे तथा इनमें वैश्विक बैंकिंग का नेतृत्व करने की क्षमता होगी। वर्तमान चलनिधि संबंधी दबाव जैसे-जैसे कम होगा और शोधन-क्षमता फिर से हासिल होगी, वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी की पकड़ फिर से मजबूत होने की आशा की जा रही है जिससे ऋण-सुविधा का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादनकर्ता लाभान्वित होंगे। इन दोनों श्रेणियों के वित्तीय मध्यस्थों को पुनरुज्जीवित करने में सरकार और रिज़र्व बैंक ने सक्रिय भूमिका निभायी है। भविष्य में भी, समय की यही माँग है कि इस नीतिगत समन्वय को और आगे ले जाया जाए ताकि एक संवेदनशील और सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली तथा एक सक्षम तथा मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र का विकास किया जा सके।